Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely:—Shri S. R. A. S. Appalanaidu, Shri Shiv Kumar Shastri, Shri Lambodar Baliyar, Shri Dharnidhar Basumatari, Shri Shyama Prasanna Bhattacharyya, Shri Amar Nath Chawla, Shri Anant Prasad Dhusia, Shri Varkey George, Smt. Marjorie Godfrey, Shri H. R. Gokhale, Shri Giridhar Gomango, Shri Md. Jamilurrahman, Shri M. R. Lakshminarayanan, Shri Pratap Singh, Shri Mohan Raj, Shrimati Shakuntala Nayar, Shri Manikrao Palodkar, Shri Krishna Chandra Pandey, Shri Ram Bhagat Paswan, Shri S. B. Patil, Shri K. Kodanda Rami Reddy, Shri N. K. Sanghi, Shri Sakti Kumar Sarkar, Shri Shafquat Jung, Shri Biswanarayan Shastri, Shri Dharamgaj Singh, Shri Somchand Solanki, Shri S. B. Thakre, Shrimati Bhargavi Thankappan, Shri Niti Raj Singh Chaudhury."

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do concur in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the adoption of children and for matters connected therewith, made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 1st August, 1972 and communicated to this House on the 2nd August, 1972 and do resolve that the following 30 Members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely:—

Shri S. R. A. S. Appalanaidu, Shri Shiv Kumar Shastri, Shri Lambodar Baliyar, Shri Dharnidhar Basumatari, Shri Shyama Prasanna Bhattacharyya, Shri Amar Nath Chawla, Shri Anant Prasad Dhusia, Shri Varkey George, Smt. Marjorie Godfrey, Shri H. R. Gokhale, Shri Giridhar Gomango, Shri Md. Jamilurrahman, Shri M. R. Lakshminarayanan, Shri Pratap Singh, Shri Mohan Raj, Shrimati Shakuntala Nayar, Shri Manikrao Palodkar, Shri Krishna Chandra Pandey, Shri Ram Bhagat Paswan, Shri S. B. Patil, Shri K. Kodanda Rami Reddy, Shri N. K. Sanghi, Shri Sakti Kumar Sarkar, Shri Shafquat Jung, Shri Biswanarayan Shastri, Shri Dharamgaj Singh, Shri Somchand Solanki, Shri S. B. Thakre, Shrimati Bhargavi Thankappan, Shri Niti Raj Singh Chaudhury.

The motion was adopted.

11.25 hrs.

MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER: There is none on his feet. Who wants to speak? If nobody wants to speak, the Minister may reply.

SHRI R. N. SHARMA (Dhanbad): I want to speak . . .

MR. SPEAKER: You deserve some punishment! I called twice and there was nobody and I called the Minister. You may speak now.

SHRI R. N. SHARMA: I support the Bill which is already before the House, namely, the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Bill. There are some salient features and the Bill is sought to be introduced on the recommendation of the Mineral Advisory Board and also from that of the Ministers of the States concerning mines and geology. This Bill is a welcome Bill. There are of course, so many omissions, even in respect of the recommendations of Mineral Advisory Board. That Advisory

[Shri R. N. Sharma]

Board recommended that there should be ceiling on prospecting and also leases of the mines. But Government in its wisdom has introduced this Bill by keeping almost the same ceiling, that means, for prospecting, from 50 sq. miles they have reduced it to 50 sq. k.m. The recommendation of Mineral Advisory Board was that this should be 25 sq. k.m. and 12 sq. k.m. for some of the minerals. The recommendation is on this issue. It was decided that the ceiling for respective licence in respect of all minerals except coal base metal and bauxite may be kept at 25 sq. k.m. and in respect of coal, base metal and bauxite at 12 sq. k.m. This should have been further reduced. I feel that people in these days are not very much interested in these minerals. The private sector mine-owners are not interested. Private people do not come to the field of mining. Their confidence has been shaken. It is because of the take-over of the mines. Mine owners have started withdrawing from the mining field. They are trying to take out the easiest minerals. They slaughter the mines and they also try to spoils it by exploiting 20 or 25 per cent of minerals and leaving 80 or 75 per cent of minerals.

Sir, this is the fate of the mining industry at present. The coal target of the Government has been fixed for the Fifth Plan at 160 million tonnes. That is not likely to be achieved.

While moving the Bill for consideration yesterday, the Minister said that production has gone up particularly with reference to coal industry. For the last 2 years it has gone down. This is the third year that production has gone down from 78 million tonnes to 72 million tonnes. Last year, in the year 1971, it has gone down to 68 million tonnes. For the past two years it has gone down from 78 million tonnes to 68 million tonnes. The target for Fourth Plan was 100 million tonnes. We are not going to achieve our target because there is non-cooperation from mine-owners. Not only that, but it is due to, mines and minerals not being removed by Rail from the minnig belts also.

Partly, the Government in the Transport Ministry or the Railway Ministry are responsible for not moving these minerals. Instead of the production going up in the Fourth Five Year Plan, we find that there is a steep fall in mineral production all round.

As far as the question of giving lease licences for the minerals is concerned, the target is being reduced only from 10 sq. miles to 10 sq. k.m. I submit that this is also a very big area and when people take such a big area under their possession, they are not in a position to exploit it properly. I can cite many instances in this regard.

In connection with the Mines (Amendment) Bill, the Select Committee Members had visited Kedala and Jharkhand mines in the Hazaribagh district of Bihar and they found that in one lease area, there were 56 blocks, and all those 56 blocks were being operated by 56 managing contractors and those 56 managing contractors were engaging hundreds of other contractors and those hundreds of contractors were again engaging thousands of petty contractors and they were engaging 8000 workers and none of the provisions of the Mines Act were being followed.

So, while granting these leases, care should be taken to see that where the owner or the leaseholder is not in a position to fulfil the obligations under the Mines Act, then such kind of leases shuld be cancelled, and such kind of owners should not be allowed to continue in the mining industry because they try to exploit the easiest coal and the cheapest coal or the cheapest mineral and they walk out of the industry immediately, leaving the entire field to the mercy of the future developing authority, and sometimes it is not developed also.

Government are going to take power in regard to the taking over of these mines and minerals in consultation with the State Government They want to consult the State Government. while taking over minerals other than minor minerals, but they do not want to take the same power and they want to leave the State Government free while dealing with the minor minerals

Sometimes, it so happens that minor minerals come badly in the way of the development of other minerals. So, the coal industry is at present suffering from the lack of supply of sand, because they are not getting enough sand Sand is under the control of the State Government and the State Government gives lease to the private owners who just come in the way and keep their own terms and conditions with the people who take sand from the river belts So, care should be taken that just as while dealing with minerals other than minor minerals, the Central Government will consult the State Government, likewise, the State Government also should consult the Central Government It should be provided under section 4A(2), the State Government should take over those minerals also in consultation with the Central Government

The third thing which I want to point out is this The recommendation of the Mineral Advisory Board is that the penal provisions should be made more stringent If you, however, look at clause 12 in the new Bill you will find that it is exactly the same as clause 21 of the old Act, and there is no difference at all The provision for six months' imprisonment or Rs. 1,000 fine is also here in this new Bill These people who may not compare the old Bill with the new Bill may be satisfied that some stringent punishment is being provided But that is not really the position The same provision which was there before is there in this Bill also.

These are a few suggestions to which I would like to invite the attention of the hon Minister During the second reading stage, I am going to move certain amendments on this basis, and I hope that Government will accept them. Firstly, they should reduce the prospecting licence period, then secondly, they should reduce the lease area, and thirdly, they should also enhance the punishment provided under the penal provisions.

With these observations, I support the Bill

श्री कमल मिश्र मधुकर (केसरिया) : अध्यक्ष जी, समय आ गया है जबकि मत्री जी को चाहिये कि माइनिग इन्डस्ट्री मे किसी भी प्राइवेट इडिविज्युल को आगे लीज न दी जाये। माइनिग इडस्ट्री की जो स्थिति है उस पर विचार करने से बिल्कुल साफ लगता है कि जो उद्देश्य आपने सामने रखा है उसकी पूर्ति वह बिल्कुल नही करता है। जहा तक बिहार का सम्बन्ध है, वहा खान उद्योग के जो व्यक्तिगत उद्योगपति है उनकी स्थिति यह है कि वे न तो उत्पादन के दृष्टिकोण से और न ही श्रमिको के कानूनों का पालन करने के दृष्किोण से कोई काम करते है जिसके कारण वहा का खनन उद्योग ऐसी स्थिति मे पहुच गया है कि वे किसी तरह से भी उपयोगी नही रह गए है। अब यह आवश्यक हो गया है कि खनन उद्योग को उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप मे या उनके अधिकार मे न रखा जाय और न उनको लीज दी जाये। आज बिहार मे यह हो रहा है कि श्रमिको के लिये जो कानून केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकार के बने है उनका कोई पालन नहीं किया जाता है। तीन दिन के बाद ही श्रमिक का नाम और उसके पिता का नाम बदल दिया जाता है। जो रजिस्टर वे बनाते है उसमें श्रमिकों के नाम हर दिन बदल दिए जाते है ताकि कोई श्रमिक परमानेट एम्पलाई न हो सके और उसको किसी प्रकार के बेनिफिट्स न मिल सकें। यह एक ऐसा जघन्य अपराध है जोकि इस सन् 1972 में सोचा भी नहीं जा सकता है कि इस

[श्री कमल मिश्र मधुकर]

देश में ऐसा भी होता है। जहां तक प्राविडेन्ट फंड का सवाल है, उसके भी करोड़ों रुपए बकाया हैं जिनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से राज्य सरकार की जो रायल्टी है वह भी बकाया है, उसका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त खनन उद्योग में एक विशेषता होती है कि जितना ही गहराई में जाते हैं उतना ही प्रोडक्शन बढ़ता जाता है लेकिन आज स्थिति यह है कि यद्यपि खानें अधिक गहराई तक पहुंच चुकी हैं लेकिन उद्योगपति कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं कोई आधुनिकीकरण नहीं करना चाहते हैं। नतीजा यह है कि जिन खानों में अधिक मुनाफा होना चाहिये अधिक उत्पादन होना चाहिये उसके बजाये घाटे का सवाल है, प्रोडक्शन घटता जाता है, श्रमिक नियमों का पालन नहीं होता है। मतलब यह कि सही मानों में खनन उद्योग का कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज इस देश में खनिज पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये नहीं बल्कि उसकी जगह पर खान मालिकों की सेवा करने के कानून बन जाते हैं। परिणाम क्या होता है? मैं आपको बताता हूं कि एन सी० डी० सी० की बगल में बर्न कम्पनी की खान है, दोनों मिले हुए हैं और बर्न कम्पनी एन० सी० डी० सी० की खान का उपयोग कर रही है और अधिकारी बैठे रहते हैं। आप पता लगाइये कि यह बात सच है या नहीं वैसे ही राय बल्लभ सिंह की कोलियरी है हजारीबाग में, उनके पास कोई लीज नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन कोयला निकाल रहे हैं आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आपके अधिकारियों के सामने हो रहा है लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। यह क्या है? यह बताता है कि खान मालिकों की आप सेवा करते हैं और दूसरी तरफ अपने देश की जो सेवा होनी चाहिये उस को आप भूल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि खान का विकास, उस का आधुनिकीकरण रुक जाता है और मजदूरों में जो यह प्रेरणा आनी चाहिये कि यह राष्ट्र का काम है, वह प्रेरणा भी नहीं आ पाती है।

जाहिर बात है कि एन०सी०डी०सी० ने सुधार किया है, उस का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कोलियरीज हैं वे सारे नियमों का पालन नहीं करती हैं, एक तरह से मंगल राज्य चल रहा है। न उत्पादन के लिहाज से और न श्रम कानून के लिहाज से आज उन की कोई उपयोगिता रह गयी है। इसलिए हम चाहते हैं कि खानों को निजी व्यक्तियों को न दिया जाय। जो नियम बनाये जाते हैं उन की अवहेलना की जाती है, चोरी करते हैं। मैं आपको बताऊं कि बर्ड कम्पनी में 50,000 टन कोयला बाहर निकला हुआ था, वहां पर आग लग गयी और मजदूरों ने कहा कि हम आग बुझाने के लिये तैयार हैं, लेकिन कम्पनी ने नहीं बुझाने दी और 50,000 टन कोयला जल कर बरबाद हो गया। यह राष्ट्र की क्षति नहीं तो और क्या है। कम्पनी का कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन का माल तो इन्श्योर्ड होता है। तो नैतिकता यह नहीं कहती कि राष्ट्रद्रोह करने वालों को प्रोत्साहन दीजिए। इसलिये मैं इस के पक्ष में नहीं हूं कि फिर से कम्पनियों को नये किस्म का लीज दिया जाय।

इस बिल में आप ने खान में सीमा सीलिंग तय करने की बात की है, 50 स्क्वायर किलोमीटर की बात है। माननीय शर्मा जी को, जो अभी बोल रहे थे, मालूम है कि 50 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब यह हुआ कि बोकारो और झरिया जैसी खानों का इलाका पूरा उस सीमा के अन्दर आ जाता है वैसे ही हजारीबाग का इलाका लिया जाय तो इस सीमा के अन्दर बहुत सी कोलियरीज आ जाती हैं। अब यदि सीमा कम की जाय तो छोटी सीमा में खानों का विकास नहीं हो पायेगा। इसलिये मेरी राय में सीमा का कोई प्रश्न नहीं उठता। और अगर आप बड़े पैमाने पर सीम

तय करते हैं, तो खानों को निजी व्यक्तियों को न दिया जाय क्यों कि वे ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय क्षति होती है। इसलिये खानो का राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

आपने इस बिल के अन्दर 6 महीने का समय दिया है, यह कानून बनेगा, उस के नियम बनेंगे उस के बाद यह लागू होगा। आप जानते हैं कि कोकिंग कोल माइन्स के टेक ओवर के समय तमाम मालिको ने खानो की सम्पत्ति को चुराया और क्षति पहुचायी । इस अनुभव के बाद भी इतना समय देना मै समझता हू गलत है। यह किस राष्ट्रीय व मजदूर वर्ग के प्रेम के आधार पर है, मेरी समझ मे नही आता। इस लिये इस समय को कम करना चाहिये। मेरा सुझाव है कि 3 महीने से अधिक समय नही लेना चाहिये और जल्दी से जल्दी नियम बना कर उन को लागू करने की दिशा से कदम उठाये जाये।

ज्योलाजिकल इन्वेस्टीगेशन के सम्बन्ध मे आप ने क्रौप डैमेज के बारे मे भी इस बिल में कहा है। अक्सर ऐसा होता है कि छोटे लोग फस जाते है, इसलिये मै चाहूगा कि छोटे लोगों को फसल काटने का समय मिलना चाहिये। और अगर यह सम्भव न हो तो कोई ऐसी व्यवस्था कीजिये जिस के जरिये उन को नुक्सान न उठाना पड़े। खान उद्योग ने लगातार 25 वर्ष से, और उस से भी पहले से, जो अन्याय किया है उस के लिये पहले कोई सजा नही होती थी अब आपने 6 महीनें की सजा की व्यवस्था की है और 1,000 रु० के जुर्माने की भी व्यवस्था है। मेरी राय में यह जुर्माना कुछ नहीं है क्योंकि जहां वे लाखों रुपया गलत काम कर के कमा रहे हैं उस में से 1,000 रु० जुर्माना दे कर वह अपना पिंड छुड़ा लेंगे और फिर आगे वही गलत काम करेंगे । इसलिये आप सजा बढ़ाइये और बजाय 6 महीने के 2 साल की सजा रखिये क्योंकि उद्योगपति सजा से बहुत डरते हैं, जुर्माने से नहीं डरते।

अब समय आ गया है कि आप तमाम खान उद्योगो का राष्ट्रीयकरण कीजिये और नये ढंग से आधुनिक ढग से खनन का विकास कीजिये खनिज पदार्थों का विकास कीजिए और ऐसे कानून बनाइये जिससे श्रमिकों को प्रेरणा मिले कि वे राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं।

श्री श्रीकिशन मोदी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया था कि मेरा नाम बोलने के लिये दिया गया है, लेकिन मुझे बोलने का अभी अवसर नही मिल पाया है। मै उस समय उपस्थित नही था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने जो सूची है उस में आप के नाम के आगे टिक लगा हुआ है इस से मै समझा कि आप बोल चुके हैं। लेकिन ठीक है जब आप बोले नही हैं, तो बोलिये।

श्री श्रीकिशन मोदी : अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खडा हुआ हू। लेकिल नियमों के बारे में जो मिस अन्डरस्टेंडिंग है उस पर मै कुछ प्रकाश डालना चाहता हू।

अध्यक्ष जी खानो का उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कि बहुत ही कठिन परिश्रम चाहता है, सूझ-बूझ चाहता है और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी चाहता है। इस के साथ ही तकनीक के बगैर खानो का काम नही चल सकता है। टेक्नीकल सलाह के बगैर नही चल सकता। आप ने देखा है कि बहुत से लोग भारत मे खानका काम करने के लिये तैयार नही हैं। इस का कारण यह है कि यह काम एक तरह का गैम्बलिंग समझा गया है। लोग ऐसा समझते है कि ओवर बर्डन उठाने के बाद, या बहुत सा पैसा लगाने के बाद ही अगर आदमी की तकदीर अच्छी है तो इस काम मे कामयाब हो पाता है वर्ना नही। इसलिये 1948 के अन्दर यह कानून बना और 1949 के अन्दर मिनरल कन्सेशन रूल्स बनाये गये, और यह तय किया गया कि कुछ रियायतें दी जायें जिस से यह उद्योग बढ़े। यह तय किया गया कि नान-मैटलिक माइन्स का लीज 20 साल का हो और मैटल माइन्स का लीज 30 साल का

[श्री श्रीकिशन मोदी]

हो। इस का कारण यह था कि अन्डर-ग्राउन्ड माईन्स के अन्दर तीन, चार साल तक ओवर बर्डन उठाने के बाद शैफ्ट बैठायी जाती है और ओडिट्स होते हैं। जिस के मुताबिक 15 परसेंट माल ठेकेदार के कबजे मे आता है और 85 परसेंट माल औडिट्स में रिजर्व मे रहता है, और जब उस खान को बन्द करते है, जैसी उस की स्थिति होती है तभी वह मा न निक ा सकता है वर्ना तब तक वह माल नही निकल सक ा है। इसलिये यह कसेशन रूल्स बनाये गये और उन को बडे बडे लीज देने का प्रावधान किया गया।

यह बात सही है कि कुछ लोगो ने मिनरल कसेशन रूल्स का नाजायज फायदा उठाया है, कुछ लोगो ने इस को मोनोपलाइज किया, और कुछ लोगो ने ऐसा किया कि कुछ खानो के ठेके ले कर उन को आइडिल कर दिया। कुछ लोगो ने मिनरल कसेशन रूल्स के तहत काम भी नही किया। लेकिन अगर इमानदारी से काम करते तो यह बात सही है कि कानून के मुताबिक काम वाला ठेकेदार कभी भी गलत नही जा सकता। उस के अन्दर लेबर रूल्स भी हैं, खानो के रूल्स भी हैं, और उन की समय समय पर बराबर चैकिंग की जाती है। यह दूसरी बात है कि गलत काम भी होते हैं और सही काम भी होते है। लेकिन जहा तक रूल्स का सवाल है, वह ठीक है और उन के मुताबिक काम करने वाले के लिये बहुत ही अच्छा उत्पादन हो सकता है। 1960 और 1971 के आकड़ो को जब हम देखते है तो ऐसा मालूम पडता है कि बहुत ज्यादा तरक्की नही हो पायी, ज्यादा मिनरल्स का उत्पादन नहीं हो पाया। यह मैं नान-मैटलिक मिनरलस की बात कर रहा हू।

नान-मेटलिक मिनरल्स में माइका का प्रोडक्शन सन् 1960 और 1971 के बीच में 60 परसेंट गिरा है। सिल्मेनाइट का प्रोडक्शन 60 गिरा है, जब कि जो और अच्छे मिनरल्स है उन की ग्राइस पांच साल के अन्दर 100 परसेंट से भी ज्यादा बढ़ी है। इन सब बातों को देखने से पता चलता है कि हिन्दुस्तान में मिनरल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ नही पाया है।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई भी मिनरल किसी इडस्ट्री मे रा मैटीरियल के रूप मे आवश्यक है तो बगैर उस मिनरल का उत्पादन किये हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन नही हो सकता। अगर हम को इडस्ट्री को बढाना है तो हम को मिनरल्स उत्पादन अच्छी तरह से करना होगा। बिना इस के इडस्ट्री बढ नही सकेगी। इस कारण यह जो बिल लाया गया है उस मे कोई खराबी नही है, लेकिन इसके बारे मे मुझे दो तीन शकाये हैं जिन के बारे मे मैं कुछ कहना चाहता हू।

एक तो इस बिल के कानून बन जाने के बाद माइन-ओनर्स मे एक अनिश्चितता आ जायेगी कि पता नही कब उन की माइन को गवर्नमेंट ले ले। सन् 1957 के ऐक्ट मे यह था कि अगर कोई माइन ओनर अमेन्ट रूल्स काम करेगा, डिस्क्वालि-फिकेशन वाला होगा या ड्यूज नही देता है उस की माइन ले ली जायेगी। लेकिन इस बिल के अन्दर सब को बराबर कर दिया गया है। जो ओनर माइन्स को अच्छी तरह चलाता है, कायदे कानून के अन्दर काम करता है, प्रोडक्शन बढाता है उस को इग्नोर कर दिया गया है। उस को भी जो माइनर मिसमैनेज करता है या डिस्क्वालिफाइड है उस के बराबर कर दिया गया है। इस बिल से जो इमिडिएट असर होगा वह यह, जैसा मेरे भाई श्री शर्मा ने अभी बताया, कि जो कट्रैक्टर इस काम मे लग हुए है वह जल्दी से जल्दी कोयला निकाल लेंगे, कूड कोल भी निकाल लेंगे लेकिन माइन का डेवेलप करने की बात नही करेंगे। माइन का डेवेलपमेंट तो एक लम्बे अर्से की स्कीम के बाद हो सकता है, वह इमिजिएट नही हो सकता है। आज माइन ओनर अपनी मशीनरी बेचने लगे हैं बजाय इस के कि माइन्स का डेवेलपमेंट करें। इस लिये कोयले का उत्पादन भले ही साल दो साल ज्यादा हो जाये, लेकिन भविष्य में होने वाला नही है। उस में गिरावट आयेगी।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस माइन्स के मुतालिक ... की एक ...

साफ स्टेप लेना चाहिये। जिस मिनरल को उन को लेना हो उस को तुरन्त ले लें, लेकिन जिस का नेशनलाइजेशन नहीं करना है उस के बारे में स्पष्ट रूप से घोषित कर दें कि हमें उस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम माइन्स के लिये कोई भी कानून बनायें लेकिन कम से कम अनिश्चितता दूर करें वरना मिनरल्स का प्रोडक्शन गिरगा।

इस बिल के सन्दर्भ में मैं एक बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि राजस्थान हमेशा से मिनरल्स के बारे में एक क्रान्तिकारी स्टेट रही है और उस ने बड़े स्ट्रांग कायदे कानून शुरू से बनाये हैं जिस से मिनरल्स का डेवेलपमेंट हो। हम ने छोटी छोटी माइन्स की लीज देने के वक्त स्पेशल क्लाज में शर्तें रक्खी थीं कि माइन ग्रोनर को इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी तभी लाइसेंस सेंक्शन किया जायेगा। उद्योगों को स्पेशल कंडिशन्स लगा कर प्रोटेक्शन दिया गया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन कारखानों का क्या होगा जो माइन्स पर लगे हुए हैं या जो कारखाने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के हैं उन कारखानों के लिये कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। मैं मानता हूं कि आप उन को लेना नहीं चाहते, आप उन को खत्म नहीं करना चाहते, आप गवर्नमेंट इन्टेरेस्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन में निवेदन कर रहा हूं कि आखिर उन के लिये कानूनी प्रोटेक्शन क्या हुआ? इस लिये मैंने अमेंडमेंट रक्खा है उन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिये जो गवर्नमेंट द्वारा शर्तें लगाने के कारण खोली गई हैं? उन को प्रोटेक्शन देने के लिये आप मेरे अमेंडमेंट को मंजूर करें और उन खनिजों को न लें जिन के कारखाने सिर्फ माइन हेड्स पर लगे हुए हैं और जो गवर्नमेंट की पाबन्दी के कारण खोले गये हैं। जिन के ऊपर ऐग्रीमेंट में शर्त लगाई गई है उनकी अनिश्चितता को आप दूर करें और उन की बढ़ोतरी के लिये आप कोई ठोस कदम उठायें।

दूसरा अमेंडमेंट आप यह कर दें कि आफ्टर नेसेसरी एन्क्वायरी अगर कोई माइन ग्रोनर मिस-मैनेज करता पाया जाय या डिफाल्टर हो तो उस की माल इमिजिएटली कैंसल कर दी जाय। जो यह अमेंडमेंट मैं ने पेश किया है वह बहुत जायज है क्योंकि मिनरल इंडस्ट्री में अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो वह कोई खास आगे जाने वाली नहीं है।

मैं 4(ए) (2) के बारे में कहना चाहता हूं कि माइनर मिनरल्स को खत्म करने के लिये आप ने स्टेट गवर्नमेंट को जो अधिकार दिया है वह क्लाज बेकार सा है। माइनर मिनरल्स के लिये पांच साल से ज्यादा की लीज नहीं दी जाती। राजस्थान में 10 से 20 हजार तक खानें हैं, जिन में से एक परसेंट ऐसी हैं जिन की लीज का पांच या सात साल का कंट्रेक्ट है, वरना सब के लिये एक साल की लीज दी गई है। अगर एक एक साल की लीज वालों को सरकार खत्म करेगी तो उन में एक अनिश्चितता आयेगी। मैं निवेदन करता चाहता हूं कि हमारे देश में माइनर मिनरल्स ज्यादातर राजस्थान में हैं। वहां मजदूरों को कंट्रेक्ट दिये हुये हैं 25 रूपये माहवार और रेंट कम रायल्टी बसिस पर ठेके दिये गये हैं। यह लोग वर्षों से काम करते आये हैं। इस तरह से उन में भी अनिश्चितता आ आयेगी और उन की फ्रीडम चली जायेगी। इस से उन की वोटिंग पावर और फ्रीडम खतरे में पड़ती है। इस लिये माइनर मिनरल्स में मजदूरों को कंट्रेक्ट दिये हुए हैं और जो वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं उन के अन्दर आप निश्चितता लाइये और कहिये कि आप उन के हकूक के अन्दर दखल नहीं देंगे।

अभी मेरे एक भाई ने बतलाया कि पी एल टी को इस विधेयक में 50 किलो मीटर रक्खा गया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस तो गवर्नमेंट के फेवर में है। प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस के अन्दर फीज जमा करनी होती है बहुत लम्बी तादाद में। माइनर मिनरल वाला कोई उस को दे नहीं सकता है। उस को कोई राइट नहीं बनता है। अगर कहीं किसी एरिया की प्रास्पेक्टिंग होती है तो उस से सरकार को जानकारी मिलती है। मेरा निवेदन है कि प्रास्पेक्टिंग लाइ-

[श्री श्रीकिशन मोदी]

केस में मिनरल लीजेज के सम्बन्ध में मिनरल ऐडवाइजरी बोर्ड से सलाह ली जाये वह यह सलाह टेक्निकल प्वाइंट आफ व्यू से होगी। माइनिंग का काम टेक्निकल हैड जो बतलाये उस के मुताबिक करना चाहिये ।

अन्त में यही कह कर समाप्त करूंगा कि जियालोजिकल सर्वे का जो प्वाइंट दिया है वह बहुत अच्छा है। उस में मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में जिस जगह वे लोग सर्वे कर सकें उन्हें उस की इजाजत दी जाये, लेकिन जो वकिंग केसेज हैं उन में इजाजत न दी जाये। अगर वकिंग केसेज में इंटरफिअरेंस करायेंगे तो काम बन्द हो जायेगा, वह आगे नहीं चलाये जा सकेंगे।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप ने लिखा है कि सारा खर्च गवर्नमेंट उठायेगी। उस के लिये मैं ने एक तरमीम दी है। उस में करप्शन होने का बहुत ज्यादा अन्देशा रहेगा प्राइवेट ओनर्स जियालोजिकल सर्वे विभाग से अपना सर्वे कराने की कोशिश करेंगे। जियालोजिकल सर्वे वहां पर काम करेगा वकिंग केसेज में उस का ऐडवान्टेज कंट्रेक्टर को मिलेगा। इस लिये सर्वे का सारा खर्च अथवा उस का खास परसेंटेज कंट्रैक्टर से अवश्य लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जो लोग पहले बोल चुके है या आगे बोलें उन के लिये आप लोग मेरे भाई या मेरे साथी न कहें। आप को पार्लियामेंट में आनरेबल मेम्बर या माननीय सदस्य कहना चाहिये। पब्लिक जल्से की तरह पर नहीं कहना चाहिये।

SHRI SHRIKRISHAN MODI: Please excuse me; in future I shall be very careful about it.

अध्यक्ष महोदय : मैं आप के लिये ही नहीं, सब के लिये कह रहा हूं।

***SHRI J. MATHA GOWDER** (Nilgiris): Mr. Speaker, Sir, on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam, I would like to say a few words on The Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Bill, 1972.

Though this is a good legislative measure, this has been belatedly brought before this House. I do not understand the attitude of the Central Government to procrastinate the passing of such good measures. There should be delay in bringing before this House such constructive measures.

In this Bill it is proposed that the prospecting licence will be restricted to fifty square kilometres. It is very good. But, what happens to the existing licences for more than 50 square kilometres? Will those licences be repealed or will they be allowed to continue? Nothing has been mentioned in this Bill about such licences which are already in force. I would like the hon. Minister to clarify this point.

For mineral development the Central Government had invested Rs. 1.06 crores in the First Five Year Plan; in the Second Plan the investment was Rs. 73 crores, in the Third Plan Rs. 282.6 crores and in the Fourth Plan the outlay is Rs. 510 crores.

The share of minerals in the national income is Rs. 470 crores during the First Plan, Rs. 688 crores in the II Plan, Rs. 969 crores in the III Plan and during 1967-68 to 1971-72 it is Rs. 1,624 crores. In spite of the fact that so much money has been invested in mineral development, the production of certain minerals has come down in recent years. I would like to request the hon. Minister to go into this question and take remedial measures.

12 hrs.

While in 1960 the production of mica was 29,000 tonnes, in 1970 it had come down to 16,000 tonnes. The production of lead concentrate was 6,000 tonnes in 1960 and it has dropped down to 4,000 tonnes in 1970. In 1969, the quantity of gypsum produced was 9,97,000 tonnes and in 1970

*The original speech was delivered in Tamil.

the production of gypsum came down to 9,15,000 tonnes. Similarly, the production of gold, which has a significant share in our national wealth, was 5,000 kg. in 1960 and in 1970 the production was 3,000 kg. Only in the case of Manganese ore, the production has gone up to 17 lakh tonnes in 1970 from 15 lakh tonnes in 1960.

During the course of a decade, the production of such important minerals has dropped down considerably. The principal reason for less production is due to the defective industrial policy resolution of the Central Government and the desire on the part of Central Government to concentrate everything in their hands. If the exploitation of minerals had been entrusted to the State Governments, the production would have definitely gone up. But the Central Government have no desire to decentralise the powers which are concentrated in their hands. This has contributed to the reduced production in these minerals. The number of mine workers has also gone up from 54,000 in 1956 to 1,77,000 in 1969. Inspite of that, the production, instead of increasing, has decreased.

Though the Government have spent crores of rupees in scientific development, the export performance in these minerals is not satisfactory. In 1955-56, the export of mica was of the value of Rs. 8.4 crores and in 1969-70 Rs. 11.4 crores. The value of manganese ore exported in 1955-56 was Rs. 10.7 crores and in 1970-71 it had come down to Rs. 10.5 crores. In the case of iron ore, from Rs. 6.3 crores in 1955-56, the export value rose to Rs. 86.1 crores.

You know, sir, that the demand for steel products inside the country has grown up very much and the Government are not able to meet the entire indigenous demand, which in consequence has shot up the price of steel products. Though the Government may earn increased foreign exchange through the export of iron ore, is that going to help in meeting the indigenous demand for steel products? Is that going to help in reducing the prices of steel products? What is the use of increasing the export of iron ore, when the Government are unable to control the prices of steel products and when they are not able to meet in full the country's demand for steel products? I would request the hon. Minister to look into this question.

Since the coking coal mines were not being operated properly and profitably, the Government nationalised them only recently. Here also, the parent Act was passed in 1957 and during the past 14 years, since the mine-owners did not care to exploit the minerals in the interest of the nation, since the mine-owners did not take interest in the welfare of mine-workers, the Government have come forward with this half-hearted amending measure. I do not understand the hesitancy on the part of the Government to nationalise these mines so that the minerals can be exploited for the good of the national and not for the good of a few people. I would suggest that the Government should nationalise the exploitation of mineral wealth in the country and also the mines which are under exploitation.

For example, a Survey Report says that gypsum is available in plenty in Chingleput distr[illegible] of Tamil Nadu. Likewise, the Stat[illegible] overnment in conjunction with [illegible] U.N.D.P. experts is working [illegible] the survey of minerals available in many parts of Tamil Nadu. It is hoped that a mini-Bihar will come up in Tamil Nadu as the U.N.D.P. experts are very hopeful of locating huge deposits of minerals in the State.

I would appeal to the Central Government that they should also take energetic and effective steps in exploiting the mineral wealth in the State. I am constrained to say that the Central Government have been showing partisan attitude towards the Neiveli Lignite Project. On account of defective and worn-out machinery, the lignite production has been going down year after year. The Central Government have not taken any interest in replacing them. The second mine-cut in the Neiveli Project has not yet been started. Though we have made repeated re-

quests to the Centre in this respect, no concrete action has yet been taken. I would appeal to the hon. Minister to look into these questions and do the needful.

Sir, we are also entirely dependent on the depleting gold reserves in the Kolar Mines in Mysore State. The working of these Gold mines has also not proved to be profitable. I am sorry to state that the Government have not taken steps to survey the availability of gold deposits in other parts of the country. During British regime, gold was found in Nilgiris, which is my constituency. Even after 25 years of our Independence, the Central Government have not thought it proper to order for the survey of my Constituency, the Nilgiris, so that the availability of gold there can be confirmed and later exploited. I am unable to appreciate the callous attitude of the Central Government in regard to the exploitation of mineral wealth available in southern parts of our country. I would say that the Central Government, instead of engaging themselves in unproductive activities, should take greater interest in such productive ventures in the interest of the nation.

MR. SPEAKER: Mr. Gowder, this is not a general debate on mines, minerals and exploitation of minerals. The Bill has got certain specific provisions. Please try to be brief, as the time fixed for this Bill is only one hour.

SHRI J. MATHA GOWDER: I would request the hon. Minister to nationalise the existing mines and also reserve for public sector the exploitation of minerals in the country. The hon. Minister of Steel hails from Tamil Nadu and without any reservation. I hope, he will show greater interest in exploiting the mineral wealth of southern parts of our country, more particularly in Tamil Nadu.

I support this Bill, though this has been belatedly brought before this House.

With these words, I conclude.

अध्यक्ष महोदय : श्री दामोदर पांडे । क्या आप की भी कोई सोने की खान है ?

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, जितने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उन सब की कांस्टीट्युएन्सीज की तुलना में सब से ज्यादा खदानें मेरी कांस्टीट्युएन्सी में हैं ।

जो बिल सदन के सामने उपस्थित हुआ है, मैं तहेदिल से उस का समर्थन करता हूं । हालांकि देर से ही सही, लेकिन यह सही दिशा में एक अच्छा कदम है । इस से भविष्य में खदान उद्योग को बढ़ाने में काफ़ी हद तक सफलता मिल सकेगी, ऐसी हमारी आशा है और इस लिए मैं इसका समर्थन करता हूँ ।

जो माननीय सदस्य अभी एक्सपोर्ट और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के सम्बन्ध में, जो हमेशा नीचे जा रही है, बात कर रहे थे, मेरा खयाल है कि बहुत कुछ तो वह बिना जानकारी के कह रहे थे और उन को सही स्थिति की जानकारी नहीं है ।

हमारे यहां से जो मिनरल्ज बाहर भेजे जाते हैं उन में से माइका की स्थिति यह है कि उस के विषय में हमारी वर्ल्ड मानोपली है । संसार का 80 प्रतिशत माइका हम पैदा करते हैं और जो हम पैदा करते हैं, उस में से करीब 90 प्रतिशत विदेशों में भेजा जाता है और हम केवल 10 प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं । यह बहुत कुछ बाजार की स्थिति पर निर्भर है कि हम कितना माइका पैदा कर सकते हैं और उस की स्थिति यह है कि अब माइका का सब्स्टीट्यूट निकल रहा है । इस लिए अगर उस के प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आती है, तो कोई बहुत एलार्मिस्ट एटीट्यूड लेने की बात नहीं है । ऐसी बात नहीं है कि मिनरल्स (डेवेलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट में कोई खामी रही हो । जहां तक इस कानून का सवाल है, माइका उद्योग में इस का उल्लंघन शायद सब से कम होता है । मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि हम इस उद्योग को और तरक्की देने के लिए यह बिल पेश

कर रहे हैं। इस लिए कुछ हद तक तो हमे यह विचार करना पड़ेगा कि भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं ।

इस बिल का एक मकसद तो यह है कि जो गलत ढंग से, अनएथाराइज्ड, माइनिंग हो रहा है, उस को रोका जाये । खासकर मेरे इलाके में तो धड़ल्ले से जहां जिस का मन आता है, कोई कोयला निकालना शुरु कर देता है और फेल्सफर या फ़ायरक्ले निकालना शुरु कर देता है । कोई लीज नही है और कोई रायल्टी नही देता है । जो भी चाहे, वह एक दिन मे माइन ओनर बन जाता है । माइनिंग एडवाइजरी बोर्ड मे इस बारे मे चर्चा हुई थी और यह कहा गया था कि इस तरह के जो अनस्क्रुपुलस लोग कभी कानून की परवाह नही करते है, उन को कड़ी से कड़ी सजा देने की व्यवस्था की जाये । बदकिस्मती से इस बिल मे इसका प्राविजन नही है । उस मे यह कहा गया था कि कैद या फाइन की सजा न रख कर कैद और फाइन दोनो रखे जाये, तभी हमें कुछ सफलता मिल सकती है । मुझे आशा है कि मत्री महोदय इस सम्बन्ध मे फिर से विचार करेंगे ।

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : दोनो है ।

श्री दामोदर पांडे : इस मे "या" है । इस मे आल्टरनेटिव की जरूरत नही है । अगर ऐसा न किया गया तो यह जो माइन-ओनर बनने की होड़ लगी हुई है खास कर मेरे इलाके मे उसको हम नही रोक सकेंगे ।

कुछ माइनर मिनरल्ज ऐसे हैं, जो मेजर मिनरलज से सम्बन्धित हैं, जैसे कोयला उद्योग का बालू से बहुत सम्बन्ध है । अगर बालू नही मिलेगा तो कोयला उद्योग ठप्प हो जायेगा क्योंकि बालू को कोयला खान मे भरा जाता है । यह देखा गया है कि जहां भी बालू की आवश्यकता महसूस की जाती है, वहां कुछ तेज दिमाग वाले लोग एक साल पहले जा कर बालू का लीज ले लेते हैं । उन की कोई हर्र-फटकरी नहीं लगती है कोई इनवेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है । जहां काम शुरु हुआ वहां वे मेजर मिनरल्ज से, सरकारी उद्योगों से, पैसा वसूल करना शुरू कर देते हैं । दामोदर नदी मे बालू की सिर्फ एक ही उपयोगिता है कि वह कोयला खदान में भरा जाता है । बिहार मे सिर्फ दो तीन आदमी ऐसे हैं, जिन्होंने पूरी दामोदर नदी के बालू का ठेका ले रखा है । उन्हें कुछ भी नही करना पड़ता है । वे सिर्फ पैसा वसूल करते है । कानून मे यह व्यवस्था होनी चाहिये कि जो मेजर मिनरलज से सम्बन्धित माइनर मिनरल्स है, जिन के बिना मेजर मिनरल्ज का काम नही चल सकता है, उन को मेजर मिनरल्ज की कैटेगरी में रखा जाये । मत्री महोदय को पता है कि एन० सी० डी० सी० ने बालू के लीज के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन उस को लीज नही मिल सका । इस समस्या का हल यही है कि उस को मेजर मिनरल मान लिया जाये ।

यदि हम देश भर मे खदान उद्योग का विकास करना चाहते है, तो जिस ढग से हम चल रहे हैं, उस मे हम अपने उद्देश्य मे सफल नही हो सकेंगे । जब हम खदान उत्पादन की बात करते हैं, तो सीधे एक्सपोर्ट की बात आ जाती है । यदि हम खदान के उत्पादन को सिर्फ विदेशो में भेजते रहे, तो फिर अपने देश को क्या मिलेगा ? मंत्री महोदय ने पिछली बार कमेटी मे कहा था कि राष्ट्रीय आय मे खदान उद्योग का योगदान 1960 में 129 करोड़ था, जब कि 1970 मे वह 346 करोड़ हो गया है । वह इस से भी ज्यादा हो सकता था ।

आज हालत यह है कि पूरे देश में बाक्साइट का भंडार है, लेकिन बिजली की कमी है, जिस कि वजह से हम एलुमिनियम नही पैदा कर सकते है और हमें एलुमिनियम का आयात करना पड़ता है । यह बड़ी खेदजनक बात है । यही स्थिति काइनाइट और सिलिमिनाइट की है । सिलिमिनाइट के विषय में हमारी वर्ल्ड मानोपली है । हम सिलिमिनाइट की इंटें विदेशों से मंगाते हैं और सिलिमिनाइट विदेशों को भेजते हैं । यह बात मेरी समझ में नहीं आती है ।

[श्री दामोदर पांडे]

ऐसी खदानो को किस ढंग से चलाना चाहिए इस पर सरकार को विचार करना चाहिये, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि हम इन खदानो का अधिक से अधिक उपयोग कर सके। हमारे देश में बाक्साइट की कोई कमी नही है। हमें यह व्यवस्था करनी चाहिये कि हम उस का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। कोई वजह नही है कि यदि हम स्पाज आयरन बनाकर बेचें, तो कोई खरीदने वाला नही मिलेगा। जिस को जरूरत है, उस को लेना पडेगा। जो मिनि-प्लांट और दूसरे प्लांट खोले जाते है, वहा स्क्रेप की आवश्यकता होती है। अगर हम उन को स्पाज आयरन देगें, तो उन को अपच नही, बल्कि खुशी और तसल्ली होगी। माइनिंग इडस्ट्री सिर्फ एक्सपोर्ट-ओरियेटिड नही होनी चाहिए। हम को इस दिशा में विचार करना चाहिये कि हमारे पास भगवान की दी हुई यह विशाल और अपार सम्पत्ति है, जिस के उपयोग से हम अपने देश को काफी हद तक विशाल बना सकते है। हमें इस बिल के माध्यम से उस दिशा मे प्रयास करना चाहिए और अधिक से अधिक उत्पादन कर के उस का सही ढग से उपयोग करना चाहिये।

अंत में मै यही कहना चाहता हू कि जो कोयला खदानें है खास कर के जिस के बारे में आपने यह नीति तो निर्धारित कर ही ली है कि जो बेसिक मिनरल्स हैं जिन के ऊपर सारे उद्योग धन्धे आधारित हैं और फ्यूएल पालसी में भी आपने मजूर किया है कि कोयले का एक महत्व-पूर्ण स्थान है तो कोयला खदानो को प्राइवेट ओनर्स के हाथ मे रहने देना यह बात बहुत कारगर जंचती नहीं है। इन को जितनी जल्दी हो अपने हाथ में लें आज एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है, जिसके कारण कोयला खदान के मालिक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वह कमा सकें, कमाने की होड़ लगी हुई है। जितने भी खदान मालिक हैं उन से जब हम बोनस की मांग करते हैं तो रेट फिगर दिखाने लगते हैं, कहते हैं कि घाटा हो गया। 4 परसेंट की स्थिति आ गई है। खाडिलकर साहब ने 8 परसेंट की बात तो कर दी लेकिन अभी तक कुछ हुआ नही है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मजदूरों का ध्यान रख कर इस का राष्ट्रीयकरण करे और उसके लिए जल्दी से जल्दी उपाय होने चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नही आनी चाहिए कि आप की कोई व्यक्तिगत नुक्ताचीनी हो रही है। जैसे एक सदस्य ने यहा कह दिया कि मत्री महोदय ने तो अपने एक भाई को जिस को डिस्मिस कर दिया था, उसको लाकर एन० सी० डी० सी० का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। उन को यह पता नही था कि हम कोयला खदान से आने वाले सदस्यगण जो तीन यहा है उन्होने मिलकर मत्री महोदय की बिना जानकारी के, जो पहले इसके मत्री थे उन से निवेदन किया था कि अगर एन० सी० डी० सी० को सुचारु रूप से चलाना चाहते है तो कोई दूसरा काम्पीटेंट आदमी उस के लिए नही होगा, जे० जी० कुमारमगलम ही उस के चेयरमैन बने। यह जब इस विभाग के मत्री बने तो इन्होने तो सिर्फ उस को फालो अप किया है। इस तरह से व्यक्तिगत आलोचना के शिकार होने से डर जाएंगे और उससे डर कर काम करना बन्द कर देंगे, इस विलिफिकेशन से दब जायेंगे कि कही कोई व्यक्तिगत आलोचना न करे, इस से डर कर काम करना बन्द कर देंगे तो यह कोई उचित काम नही होगा। जो काम हो रहा है उसमें व्यक्तिगत आलोचना से घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि यह आप का कोई व्यक्तिगत काम नही है, इसमे आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नही है। जो भी काम हुआ वह सही दिशा में हो रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप इस खदान के राष्ट्रीयकरण के सबंध में कदम उठायेंगे और जो लीज है 50 स्क्वायर माइल या 15 स्क्वायर माइल्स के पचड़े में न पड़ कर के सिर्फ एक लीज जो सरकार के हाथ में हो, वही करें और उसमें वह

असली अर्थ व्यवस्था को सुधारने में बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद यादव (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस माइन्स ऐंड मिनरल्स संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए भी करता हूं क्योंकि खनिज और खान के ऊपर हमारे बहुत से मूलभूत उद्योग आधारित हैं और उन उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आज खानों और खनिज पदार्थों की बहुत आवश्यकता है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं आप का ध्यान धारा 4-(क) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

"जहां केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि खान और खनिजों के विकास के विनियमन के हित में ऐसा करना समीचीन है, वहां वह गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज से सम्बन्धित खनन पट्टे की समय से पूर्व समाप्ति करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करेगी. . . ."

और उस के अंत में यह भी लिखा हुआ है कि "जैसा उचित समझे"। मुझे इस बात की आशंका है कि राज्य सरकार कहीं इस अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे और इस प्रकार का दुरुपयोग राज्य सरकार बराबर सत्ता के मद में और खान मालिकों से सांठ गांठ कर के, उनसे कुछ दूसरे प्रलोभनों में आकर किया करती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे मुझे आशंका है कि आप ने उसे यह अधिकार इसलिए दिया कि जैसा उचित समझे जिसका मन होगा उस को समय से पूर्व रद्द कर दिया जायगा। इस प्रकार की व्यवस्था कोकिंग कोल माइन्स एमर्जेंसी बिल 1971 के संबंध में जो की गई उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने 212 माइन्स को टेक ओवर किया। बिहार में सारी की सारी माइन्स है और बंगाल स्टेट की केवल तीन चार माइन्स हैं। अब उसका कौनसा राजनैतिक उद्देश्य था। राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर के ऐसा किया गया था उसमें कोई और ऐसी भावना थी जिसके कारण इस ढंग की बातें हुई। इसलिए मुझे आशंका है कि इस अधिनियम में जो इस बात का उल्लेख किया गया है इस का कुछ राजनैतिक उद्देश्य होगा।

दूसरी बात जिस की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि एन० सी० डी० सी० के द्वारा आप का यह सब खान का काम चल रहा है, मैं अभी झरिया गया था उस एन० सी० डी० सी० के द्वारा जो पर्याप्त कोल पतरातू और बरौनी में पहुंचना चाहिए था वह पहुंच नहीं पाया जिस के कारण पावर की बहुत कमी हो गई है।

एक माननीय सदस्य : राव साहब को कहिए।

श्री रामेश्वर प्रसाद यादव : राव साहब को तो कहूंगा लेकिन यह एन० सी० डी० सी० से संबंधित है बिहार सरकार ने लिखा है :

"Patratu is in a position to generate more power and assist D.V.C. and the neighbouring States, provided N.C.D.C. can supply and railways can move an additional 50,000 MT of coal per month. The stock of coal both at Patratu and Barauni is low with 3-5 days stock for consumption."

यह बिहार सरकार को लेटर नं० 1139 दिनांक 5-8-72 है। इसी प्रकार की स्थिति बोकारो स्टील प्लांट की भी है। बोकारो स्टील प्लांट में कोकिंग कोल की जितनी आवश्यकता है, वह जमा है, कुछ आया है लेकिन अगर उसकी एक चिमनी भी साल भर काम करे तो उसी में वह समाप्त हो जाता है और जब सारे का सारा बोकारो उद्योग चलना शुरू होगा उस समय उस की कितनी आवश्यकता होगी यह आप समझ सकते हैं।

दूसरी एक बात उसमें यह भी आई है कि ज्यालाजिकल सर्वे के माध्यम से जो खान के सर्वे होते हैं उस में छोटे किसानों की जमीन आई जाय तो सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उस के साथ बेइन्साफी न हो सके।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

खान के विषय में और खनिज पदार्थों के विषय में आज स्थिति यह है कि जब से टेक ओवर हुआ कुछ कीमतें भी बढ गई, माल का उत्पादन कम हो गया है और साथ साथ दूसरे सब कोयले कोकिंग कोल के अलावा जो थे उन के दाम इतने बढ़ गए हैं कि बिहार मे ईंट बनाने का उद्योग बहुत सफर कर रहा है जिस के कारण देहात मे आज मकान बनाने की समस्या आ खड़ी हुई है। साथ ही साथ टेक ओवर करने के बाद मे झरिया गया था और वहा मैंने देखा मजदूरो की स्थिति पहले से भी बदतर थी। वेज बोर्ड से कुछ तनख्वाह बढी है और आज स्थिति यह है कि 11–12 हजार मजदूर बेकार है। आज भी वहा कांट्रैक्ट सिस्टम है। जैसे काट्रैक्टर पहले काट्रैक्ट लेते थे माइन्स के ओनर्स से और फिर वे पेटी काट्रैक्ट देते थे आज उसी प्रकार की व्यवस्था पूर्ववत चालू है जिस के कारण 11 हजार मजदूर बेकार है।

अध्यक्ष महोदय : यहा आप मजदूर कैसे ले आए, यहा तो दूसरी बात चल रही है।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : बिल के संबध में बोलते हुए उस की तरफ भी मैंने ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्ष महोदय : आप बिल पर रेलीवेट रहिए।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : इसके अलावा खान की खुदाई मे नीचे तक जो खुदाई जाती है उसमें प्राइवेट कम्पनिया सब हैं। अनिश्चितता के कारण पैसा लगाने में वह हिचकिचा रही है। इसलिए मैं चाहूगा कि ऐसी जो खानें हैं जिन पर मूलभूत उद्योग आधारित हैं, उनको सरकार अपने हाथ मे ले ले ऐसी हमारी और हमारी पार्टी की भी भावना है और जो छोटे छोटे खनिज है जो पूरक है उन को प्राइवेट कम्पनियों के पास चलने दे। लेकिन जो मूल उद्योगो से संबंधित हैं उन खानो को सरकार हाथ में ले ले। उसमें अधिक से अधिक पूजी लगा कर नीचे तह तक खुदाई कर के अधिकतम उत्पादन सरकार करे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): Mr. Speaker, Sir, I am very grateful to the hon. members who have taken part in this debate. They have unanimously given their support to this measure. During the discussions, my hon. friend, Shri Modi, and some others have expressed an apprehension that the Government would misuse their power in termination of leases. He was apprehensive that Government might displace the small scale industries when they decide to acquire some mines on which those small scale industries are based He also talked about small co-operative workers who are managing some mines I wish to assure the House that this power which is being sought to be acquired under section 4A, termination of mining leases, would be resorted to only in very exceptional cases where the larger interests of the nation and the development of big industries so demand. It will not be done in a light-hearted manner.

A number of members said that the power given to the State Governments to terminate mining leases in respect of minor minerals may also be misused I am very grateful to my friends, Shri R N. Sharma and Shri Modi, who have brought forward amendments in which they have proposed that, in case of termination of mining leases for minor minerals, the State Government should consult the Central Government That, I think, is a very good amendment, and as we take up clause-by-clause consideration, I would be happy to accept that amendment.

A number of my hon. friends also expressed apprehension that the power now being sought that the Geological Survey of India or any other agency duly authorised by Government should be allowed to enter any mining lease area to carry out prospecting work or other investigation, might be misused; they particularly expressed an apprehension that they may enter the areas where crops are standing and may destroy the crops. This power is being sought to be acquired as a result of discussions which we held in the Mineral

Advisory Board, and we have the support of all the State Governments to this measure. Previously the Geological Survey of India could enter only areas which were not held under mining leases. But there are large areas which are held under mining leases and which are not being properly exploited. Therefore, it was thought necessary that even in areas which are held under mining leases, the Geological Survey of India or any other agency authorised by the Government should be allowed to enter and carry out investigations. We will take every care. I assure the House, that the standing crops belonging to the farmers are not damaged in any way. In case it is absolutely unavoidable, there is a provision for compensation, if we have to resort to any such thing, then the farmer will be duly compensated

We have heard conflicting views on whether the area under prospecting leases and mining leases should be reduced or should be allowed to remain at the same level It has been recommended in this Bill that the area should be reduced in case of prospecting licence from 50 sq miles to 50 sq kilometres That is a very sizeable reduction

AN HON MEMBER: That is against the Mineral Advisory Board's decision

SHRI SHAHNAWAZ KHAN. That is a very sizeable reduction Government will have no hesitation in reducing it further if that is the consensus of the House.

Regarding the area held under mining lease, the Bill seeks to reduce the area from 10 sq. miles to 10 sq. kilometres That, again, is a very sizeable reduction But here my hon. friend has suggested that the area should, in the case of mining lease, be reduced further. I would like to put before the House the actual state of affairs as it is within my Ministry. We have to keep in very close touch with the State Governments, and in such matters we have to take their opinion. We have referred this matter to all the State Governments who have been asked to communicate their views to the Director of Indian Bureau of Mines, and as soon as their views are known, then if it is necessary to reduce it further, Government will not hesitate to do so I would also like to state that this area is the maximum that can be given. There is nothing to prevent the Central Government or the State Government to give much less area for prospecting or mining lease

SHRI R N. SHARMA. There is provision to give more

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: Government reserves the right to waive this condition and give much larger areas to public sector undertakings, and I am sure, my friend would not resent that.

My hon friends, Shri Damodar Pandey and Shri Sharma, from the coal-fields have raised a very pertinent point regarding sand for stowing Sand is very important for stowing in coal-fields There is a provision —section 3(e) of the existing Act— which empowers the Central Government to declare sand, used for prescribed purposes, as a major mineral Under that, sand can be classified as a major mineral and action can be taken accordingly.

SHRI DAMODAR PANDEY: In spite of that, are you not aware that NCDC and the Bharat Coking Coal have failed to obtain sand leases in the Damodar river and they are facing much difficulty on that account? (*Interruptions*)

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: We shall certainly examine if there is any need to declare sand as a major mineral and to take it under the Central Government. But, my hon. friends know that the problem in the Damodar river regarding sand is not of mining leases, but it is of the availability of sand. There is less sand available as a result of certain dams coming up in the catchment area . . .

SHRI DAMODAR PANDEY: Whatever is available has been handed over to the private people.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: My hon. friend from Tamil Nadu has unfortunately gone away. He wanted to know whether this ceiling on holding will apply to leases which are in existence already or to the future mining and prospecting leases. This Bill does not seek to have any retrospective effect and, therefore, it would not apply to prospecting and mining leases which are in operation already. So, it would not apply to them.

A number of my friends have spoken regarding penalties which are to be imposed for irregularity or trespassing or carrying on mining in an irregular manner. May I refer the hon Member, Shri Damodar Pandey to amendment to Sec 21 on page 6 where it says:

> "Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) of section 4 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both."

SHRI DAMODAR PANDEY: 'or' will serve no purpose Nobody is sentenced till now Knowing full well that the violation of the Act is going on, can you say how many persons have been imprisoned?

MR SPEAKER: Mr. Pandey He is contradicting You said there is no penal clause which is contradicting

SHRI DAMODAR PANDEY: In the Mineral Advisory Board it was decided that the penalty clause should be made more stringent and the penalty provisions should be enhanced whereas in this Bill the same provision has been incorporated which was in the original Act So, what are the stringent measures you are taking? You are just copying the old Act.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: We are yet to go to clause-by-clause reading. Certain amendments have been brought forward by hon. Members seeking enhancement of penalties and I propose to accept them.

MR. SPEAKER. It has already taken more than an hour.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: Sir, there is nothing controversial. Only I would like to say this much in conclusion. I would like to say that the Government have noted what the hon Members have said regarding misuse and exploitation of mines, particularly, the coal mines in the coal fields A number of hon. Members who have spoken have desired that the Government should nationalise the coal mines The hon Minister for Steel and Mines, on a number of occasions, has declared the present policy of the Government. According to the present thinking in the Ministry of Steel and Mines, the Government do not propose to nationalise all the coal mines, but, we have said that where we find that the private sector is not playing its part fairly and honestly and that it is not investing sufficient funds and that it is, what they call, slaughtering the mines or exploiting the mines in an unscientific manner, there, the Government will naturally be compelled to step in. But the Government will naturally like to give an opportunity and chance to the private sector to play its part in the exploitation of the coal mines in a scientific manner and with confidence

With these remarks, I once again thank the members who have taken part in this discussion.

श्री श्रीकिशन मोदी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी जो जवाब दिया है उसमें मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया है इसलिए मैं उसके सम्बन्ध में पूछना चाहूंगा।

अभी मंत्री जी ने जो बताया कि इस बिल से जो पावर ले रहे हैं उसको असाधारण तरीके से ही काम में लायेंगे तो इस अपनी विचारधारा को वे किसी रूल में या प्रोसीजर में रखने की कृपा कर रहे हैं या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : इसके लिए रूल्स बनाने जरूरी नहीं हैं। यह तो गवर्नमेंट की नीति है, हम स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को एन्करेज करना चाहते हैं और जो वर्कर्स की कोआपरेटिव्ज हैं उनकी पूरी पूरी मदद करना चाहते हैं। यह तो गवर्नमेंट की नीति ही है इसलिए इसमे कोई खास रूल्स बनाने की जरूरत नही है।

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, be taken into consideration."

The motion was adopted

Clause 2—(*Insertion of new section 4A*)

SHRI R N SHARMA: I beg to move:

Page 1, *line* 18,—

After "State Government" *insert*—

", after consultation with the Central Government," (14).

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: I would like to accept this with a little change.

MR. SPEAKER: You can move another one if you like.

SHRI R. N. SHARMA: What is the change the hon. Minister wants to make?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: I accept this amendment with a verbal change.

MR. SPEAKER: The Minister should put it in his mouth. We don't go by the spirit; we go by the words.

SHRI R. N. SHARMA: I accept the amendment along with the amendment which he has suggested.

MR. SPEAKER: You agree to it? Then, both of you agree to it. You may move it.

SHRI R. N. SHARMA: I beg to move:

Page 1, (i) line 18,—*for* "The State Government may, if it is".

Substitute—

Where the State Government, after consultation with the Central Government, is" [(14), *as modified*.]

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: There is a consequential amendment. That is, line 20, *after* "so to do" *insert* ", it may".

MR SPEAKER: I will not approve of this practice of coming with such changes so hastily and quickly. You are sitting by the side of a very eminent lawyer Why can't you give it in his name?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI S MOHAN KUMARAMANGALAM): There is no problem here; it is just a question of phraseology used What my friend Mr R. N Sharma wants to introduce in this Bill is being accepted in toto. but the wording that he has suggested is not a happy wording from the legal point of view. We are suggesting a slightly different wording which brings out exactly what he wants. I have made it clear.

MR SPEAKER: Mr. Sharma may move it, together; it is consequential.

SHRI R. N. SHARMA: I shall move it as modified.

I move:

Page 1,—

(i) line 18,—*for* "The State Government may, if it is".

Substitute—"Where the State Government, after consultation with the Central Government, is"

(ii) line 20,—*after* "so to do" *insert*—", it may". [(14), *as modified*.]

MR. SPEAKER: The question is:

Page 1,—

(i) line 18,—*for* "The State Government may, if it is",

Substitute—"Where the State Government, after consultation with the Central Government, is"

(ii) line 20,—*after* "so to do", *insert*—", may" [(14), *as modified.*]

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The question is:

"That Clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3—(*Amendment of section* 6.)

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: I move:

Page 2, *line* 20,—

for "lease or licence"

substitute—"mining lease or prospecting licence". (8)

SHRI R. N. SHARMA: I beg to move:

Page 2, *line* 11,—

for "fifty" *substitute* "twenty-five". (12)

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: I accept it.

MR. SPEAKER: You are not moving the other one.

SHRI R. N. SHARMA: No.

MR. SPEAKER: I will now put amendment No. 8 moved by Shri Shah Nawaz Khan to the vote of the House. The question is:

Page 2, *line* 20,—

for "lease or licence"

substitute—"mining lease or prospecting licence". (8)

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now, I will put amendment No. 12 moved by Shri R. N. Sharma to the vote of the House. The question is:

Page 2, *line* 11,—

for "fifty" *substitute* "twenty-five". (12)

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now, the question is:

"That Clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

13 hrs.

MR. SPEAKER: There are no amendments to clause 4 to 6. So, I shall put them together to vote.

The question is:

"That clauses 4 to 6 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 4 to 6 were added to the Bill.

Clause 7—(*Amendment of section* 14)

Amendment made:

Page 4, *line* 3,—

for "other concessions" *substitute* "other mineral concessions". (9)

(*Shri Shahnawaz Khan*)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 7, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clauses 8 to 11 were added to the Bill.

SHRI R. N. SHARMA: There is a correction in it.

MR. SPEAKER: No, that was a consequential change. That has already been accepted.

Clause 12—(*Amendment of section 21*)

MR. SPEAKER: There are two amendments to this clause tabled by Shri R. N. Sharma. Is he moving them?

SHRI R. N. SHARMA: Yes.

MR. SPEAKER: Is the hon. Minister accepting them?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Yes, I am accepting both of them.

Amendments made:

Page 6, *line* 19,—

for "six months" *substitute* "one year". (15)

Page 6, *line* 19 *and* 20,—

for "one thousand" *substitute* "five thousand". (16)

(*Shri R. N. Sharma*)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 12, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clause 12, *as amended, was added to the Bill.*

Clauses 13 *to* 16 *were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed".

श्री श्रीकिशन मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट है, मुझ से पूछा ही नहीं गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप को उठ कर मूव करना चाहिए ।

The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted

MR. SPEAKER: This Bill has taken a lot of time, almost double the time allotted for it.

13.05 hrs.

RULERS OF INDIAN STATES (ABOLITION OF PRIVILEGES) BILL

MR. SPEAKER: Now, we shall take up the Rulers of Indian States (Abolition of Privileges) Bill.

We have two other Bills also. The time allotted for the Rulers of Indian States (Abolition of Privileges) Bill is two hours. Then, we have another Bill for which 1 hour has been allotted and a third one also for which again 1 hour here has been allotted. We allotted one hour for each of them, just for the sake of allotting time; otherwise, they should not take so much time. But for the Bill relating to abolition of privileges of Indian Rulers, it was decided in the Business Advisory Committee to allot two hours. Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE): I beg to move:

"That the Bill further to amend certain enactments consequent on derecognition of Rulers of Indian States and abolition of privy purses, so as to abolish the privileges of Rulers and to make certain transitional provisions to enable the said Rulers to adjust progressively to the changed circumstances, be taken into consideration."

In December last, this House by an overwhelming majority endorsed the abolition of privy purses and the concept of Rulers. Consequent on